पत्रांक– कारा / बजट(उद्योग) 07–07 / 16....63......

बिहार सरकार

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

आनन्द किशोर,
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक,
विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर।

पटना, दिनांक -21-10-, 2016

विषयः–**मुख्यशीर्ष–2056 जेल (गैर योजना), उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102– जेल उत्पाद, मांग सं0–22, उपशीर्ष–0001–केन्द्रीय जेल के प्राथमिक इकाई ''21 01 सामग्री एवं पूर्तियां'' के तहत वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये ₹50,00,000 (पचास लाख रूपये मात्र) अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक–ब17 / बी0एस0जी0–18 / 2016–423 / वि0 दिनांक– 31.03.2016, पत्रांक–एम0– 4–09 / 2014–4572 / वि0 दिनांक– 03.06.2016 एवं पत्रांक–2561 दिनांक– 17.04.98 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये निम्नांकित राशि का अतिरिक्त आवंटन निम्नरूपेण स्वीकृत किया जाता हैः–

क	कारा का नाम	कूट सं0 / मद का नाम	वर्तमान आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	अभियुक्ति
1	विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर	21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	1,00,00,000	50,00,000	1,50,00,000	बंदी वस्त्र, कास्टिक साबुन, फिनाईल, प्रिंटींग प्रेस हेतु वांछित सामग्री।
कुल योग			**1,00,00,000**	**50,00,000**	**1,50,00,000**	**एक करोड़ पचास लाख रूपये मात्र।**

(पचास लाख रूपये मात्र)

2. इस राशि का विकलन मुख्य शीर्ष–2056 जेल (गैर योजना), उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102–जेल उत्पाद, मांग सं0–22, उपशीर्ष–0001–केन्द्रीय जेल के प्राथमिक इकाई "21 01 सामग्री एवं पूर्तियां" के तहत होगा। विपत्रों पर विपत्र कोड सं0– एन–2056001020001, मांग सं0 एवं कूट सं0 अंकित किया जाय, अन्यथा कोषागार द्वारा इन्हें पारित नहीं किया जायेगा।

3. सामग्रियों का क्रय वित्तीय नियमावली एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के आलोक में सभी प्रक्रियाओं का निर्वहन करते हुए किया जाय।

4. विभाग द्वारा पूर्व में दिए गए निदेशों का पालन किया जाय।

5. उत्पादित सामग्रियों के गुणस्तर पर विशेष ध्यान दिया जाय।

6. वित्त विभाग एवं विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार ही निकासी / व्यय सुनिश्चित किया जाय।

7. उत्पादित सामग्रियों का मूल्य संधारण के समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि इनका मूल्य कारा हस्तक नियम के अनुसार ही तथा बाजार दर से अधिक न हो।

8. व्यय में मितव्ययिता बरती जाय एवं व्यय विवरणी प्रत्येक माह के 10 (दस) तारीख तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करा दी जाय।

9. कारा हस्तक में निहित प्रावधान के तहत सभी प्रकार के भंडारों का सत्यापन सुनिश्चित किया जाय एवं सत्यापन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

21/10

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा / बजट(उद्योग) 07–07 / 16.....63..... पटना, दिनांक-21-10-, 2016

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/10

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा / बजट(उद्योग) 07–07 / 16.....63..... पटना, दिनांक-21-10-, 2016

प्रतिलिपिः– प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर / जिला पदाधिकारी, भागलपुर / संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/10

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

E:\SYS. 1\JAIL 1\ALLOTMENT AND EXPENDITURE\2016-17\Nirmansala CJ 2016-17\Budget 16-17 CJ Muzaffarpur Nirman 18.10.2016.doc